न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 67/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. ठाकर सिंह पुत्र नगसिंह निवासी– स्वरूपनगर तहसील शिव जिला बाडमेर।		1. उत्तमसिंह पुत्र नगसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र जवारसिंह 3. गोपीदेवी पत्नी गोपालसिंह 4. जालमसिंह पुत्र अलससिंह 5. झबरसिंह पुत्र अलससिंह 6. बाबूसिंह पुत्र अलससिंह 7. रामकंवरी पत्नी अलसिंह 8. लखसिंह पुत्र आम्बसिंह 9. विजयसिंह पुत्र अलससिंह 10.समधाकंवर पत्नी अलससिंह 11.हरकंवर पुत्री अलससिंह 12.जेठाराम पुत्र वगताराम निवासीगण– धारवीकला तहसील शिव। 13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिव, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 03.02.2025 को उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 114/2022 अनवान ठाकरसिंह बनाम तहसीलदार, शिव वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः–

1. श्री रेखाराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो0संख्या 1, 3 से 6, 7 व 9 से 11 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 2 एवं 8 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 6 मई, 2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 114/2022 अनवान ठाकरसिंह बनाम तहसीलदार, शिव

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2025 के विरूद्ध यह राजस्व अपील दिनांक 28.02.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम स्वरूपनगर तहसील शिव में ख0सं0 558/372 रकबा 6.4750 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की स्थित है जिसके पडौस में रेस्पो0 संख्या 2 का खेत ख0सं0 560/372, पश्चिम और दक्षिण की तरफ रेस्पो0 संख्या 3 व 4 का खसरा संख्या 567/372 व रेस्पो0 संख्या 5 से 12 का खेत ख0सं0 556/372 आया हुआ है तथा अपीलान्ट अपनी उक्त खातेदारी भूमि जो कि आवंटित शुदा है, जिसकी पटटा डायरी व नक्शा प्रति वक्त आवंटन के समय अपीलान्ट को जारी की थी तथा आवंटन के अनुसार भौतिक कब्जा दिलाया गया था। मगर बाद में रेस्पोडेन्टस यादि वादग्रस्त भूमि के सेढा पड़ौसियों ने माठ को तोड़ दिया तथा तरमीम के अनुसार कब्जा काश्त को भी बदल दिया, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलान्ट के उक्त आवेदन को अस्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के सेढा पडौसियों के जवाब और रेस्पोडेन्टस के हक में पक्षपात रवैया अपनाकर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को सही ढंग से सुना ही नहीं गया और पटवारी की ओर से पेश मौका रिपोर्ट को आधार मानकर तथा बिना युक्तियुक्त अवसर प्रदान व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्ती है। अपीलान्ट वक्त आवंटन से काबिज काश्त है जो नक्शा परिशिष्ठ–अ से साबित है परन्तु वर्तमान लटठा नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत अंकित कर दी गई जिस वजह से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य काश्त कब्जा

को लेकर भंयकर विवाद हुआ है तथा अपीलान्ट को जबरन बेदखल करने के लिये आमदा है। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्टस से मिलभगत कर विवादित मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गई और उस आधार पर प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। मूल खसरा संख्या 372 है, बाद में अलग–अलग समय में आवंटित होकर आवंटन अनुसार तरमीम की गई। अपीलान्ट को आवंटन के समय डायरी व नक्शा अनुसार कब्जा सौंपा था, उसी के अनुसार काबिज है एवं मौके पर रहवासीय ढाणी व पानी का टांका बना हुआ और तारबन्दी की हुई हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 3.2.2025 को निरस्त किया जावे।

4. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या रेस्पो0संख्या 1, 3 से 6, 7 व 9 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा हम रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 9.6.2022 को पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम स्वरूपनगर तहसील शिव में ख0सं0 558/372 रकबा 6.4750 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की स्थित है जिसके पडौस में हम रेस्पोडेन्टगण यथा रेस्पो0 संख्या 2 का खेत ख0सं0 560/372, पश्चिम और दक्षिण की तरफ रेस्पो0 संख्या 3 व 4 का खसरा संख्या 567/372 व रेस्पो0 संख्या 5 से 12 का खेत ख0सं0 556/372 आया हुआ है। अपीलान्ट अपनी उक्त खातेदारी भूमि जो कि उन्हें आवंटित शुदा है, जिसकी पटटा डायरी व नक्शा प्रति वक्त आवंटन के समय अपीलान्ट को जारी की थी तथा आवंटन के अनुसार भौतिक कब्जा दिलाया गया था। मगर बाद में रेस्पोडेन्ट्स यानि सेढा पड़ौसियों ने माठ को तोड़ दिया तथा तरमीम अनुसार हुए कब्जा काश्त को भी बदल दिया, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया था।

5. रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा पेश उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर हम रेस्पोडेन्टस की ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया तथा कथन किया कि आवेदन में कल्पना एवं मनगढत के तथ्य अंकित किये है। उक्त खसरा संख्या 372 में से ही अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को अलग–अलग रकबा भूमि आवंटन हुई थी तथा आवंटन के

समय ही कब्जा दे दिया था एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते हुए नामा0 की पुश्त पर पृथक–पृथक तरमीम अंकित कर दी थी और वर्तमान समय में भी तरमीम एवं मौके के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा मौके एवं रिकार्ड में की गई तरमीम में कोई अन्तर नहीं होने से अपीलान्ट की ओर से पेश उक्त तरमीम शुद्धि के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार किया गया हैं।

6. रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा तरमीम को ऑनलाईन करते समय गलत तरमीम दर्ज की गई का कथन किया परन्तु उनके द्वारा पूर्व की सही तरमीम का नक्शा पेश नहीं किया जो नहीं किया गया था क्योंकि राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर की गई तरमीम एक समान हो रखी थी जो सही कर रखी थी। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपीलान्ट को कभी भी मौके से बेदखल करने की कोई धमकी नहीं दी गई। मात्र विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर से उनके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु कहा गया और यह भी अपीलान्ट के द्वारा कहा गया गया कि वे लोग अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवा ले, तब अगर आपकी भूमि आयेगी तो मैं आपकी भूमि पर से अतिक्रमण हटा लूंगा। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस की सुधारी गई भूमि को हड़पने के लिये उक्त तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना तथा उसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाने योग्य हैं।

7. रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मूल ख0सं0 372 के विभक्त खसरा नम्बरान की दुरूस्ती अपीलान्ट ने चाही थी परन्तु ख0सं0 372 के सभी बटटा नम्बरान के खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त तहसीलदार शिव के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अपीलान्ट के कथनों के अनुसार है जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तैयार नहीं की गई थी। अपीलान्ट अपने को आवंटित भूमि से असंतुष्ट है तो आवंटन आदेश को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। इस प्रकार का अनुतोष धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को उक्त तरमीम का ज्ञान प्रारम्भ से ही रहा है तथा वक्त आवंटन से काबिज हो रखा है। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्टस को परेशान व हैरान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को

4

सुनने के उपरान्त अपीलान्ट के उक्त आवेदन को अस्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित किया गया है जो सही एवं विधि के अनकूल व उचित रूप से खारिज किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को यथावत रखा जावें।

8. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.2025 के सम्बन्ध में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त ख0सं0 558/372 की राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को गलत बताते हुए उसे दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रकरण पेश कर उनको आवंटित हुई भूमि के आवंटन अनुसार तथा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा दुरूस्ती की मांग की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की ओर से पेश मौका रिपोर्ट को आधार मानकर व उनको युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ही उनके आवेदन को खारिज कर दिया। अतः अपील को स्वीकार कर उक्त आदेश दिनांक 3.2.2025 को निरस्त किया जावें।

9. हमने प्रकरण का तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट ने अपने आवेदन में ख0सं0 372 के सभी बटटा खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। द्वितीय अपीलान्ट के द्वारा अपने कब्जे काश्त वाले खसरे की भूमि की आवंटन के समय दिये गये कब्जे के अनुसार की गई तरमीम एवं वर्तमान तरमीम का तुलनात्मक प्रमाण पेश नहीं किया गया यानि पूर्व समय में नामा0 पुश्त पर की गई तरमीम और वर्तमान तरमीम में अन्तर हो, जिससे यह सावित हो जाता हो कि वह वर्तमान समय में कब्जे काश्त के अनुसार आवंटित के समय कब्जा दी गई भूमि के अनुसार ही काबिज है। पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई मौका फर्द व नक्शे से ऐसा आभास होता है कि अपीलान्ट को अन्य आवंटित व्यक्तियों को आवंटित समान भूमि से भिन्न दिशा दर्शाते हुए भूमि का आवंटन किया गया है और वह अन्य पडौसी खातेदारों के खेतों में भी अपना हक–हिस्सा रखता है और थोडी थोडी हिस्सा भूमि पर काबिज हो रखा है।

10. इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी निष्कर्श दिया है कि अपीलान्ट की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार कर लिये जाने पर अन्य पडौसी खातेदार की भूमि के खसरे प्रभावित होंगे और मौके पर तनाव की स्थिति पैदा होगी। ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में तहसीलदार की ओर से भी कोई अनुशंषा नहीं की जाना भी पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरणों का विधि के अनुरूप, मौका रिपोर्ट एवं सभी पक्षों की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपीलान्ट के तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आवेदन को अस्वीकार किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को पारित किया गया है, वो उचित रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर समग्र विवेचन, विश्लेषण एवं उभय पक्षकारान के द्वारा की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

11. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 6.5.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर